मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

118वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 20–11–2021

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 118वीं बैठक दिनांक 20–11–2021 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 118वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 20–11–2021 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री मृदुल चौधरी,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री के0 बालाजी,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्रीमती ममता मालवीय	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य।
5.	श्री विजयपाल,	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
6.	श्री बलवीर सिंह,	प्रोजेक्ट इन्जीनियर, प्रथम मण्डल, उ0प्रदेश जल निगम, मेरठ।	सदस्य।

7.	श्री राजीव कुमार,	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य
8.	श्री एस0सी0गौड़,	चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद एवं प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य।
9.	श्री नैन सिंह तोमर,	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01,मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड़, मेरठ।	सदस्य।
10.	श्रीमती वर्षा कौशिक,	शासन द्वारा नामित सदस्य, के–03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य।
11.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्री चन्द्रपाल तिवारी,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक / सदस्य।

कोरम पूर्ण है। अतःएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16–04–2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 16–04–2021 को सम्पन्न 117वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14–08–2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1	2.	3.	4.
09	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन शताब्दीनगर/ लोहियानगर में अनावंटित भवनों को यथा स्थिति में बल्क–सैल के अन्तर्गत विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव मद सं0 03 पर प्रस्तुत है।	बोर्ड का निर्णय मद सं0 03 पर पारित है।
10	कैटिल कालोनी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	कैटिल कालोनी विकसित किये जाने हेतु प्राधिकरण के पास उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण कैटिल कालोनी प्रस्तावित नहीं की जा सकी है।	कैटिल योजना के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा शासन को पत्र पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14—08—2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन—

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
12	आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन (ए0डब्लू0एच0ओ0) से 3176.85वर्ग मीटर भूमि का EXCHANGE DEED निष्पादित करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के निर्णय से अवगत होकर आवंटी श्री अनिल कुमार द्वारा उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांकित 10—09—2021 की धारा—5 में —"यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि एम0डी0ए0 की 116वीं बोर्ड बैठक द्वारा रक्षापुरम आवासीय बल्क भूखण्ड सं0 बी.एल.—2 क्षेत्रफल 28239 वर्ग मीटर पर पहुँच मार्ग के निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल के निर्माण पर आने वाला समस्त व्यय भार आवंटी से वहन किये जाने का निर्णय हुआ है। शपथकर्ता इस हेतु इस शपथ पत्र के माध्यम से अपनी सहमति देता है। एम0डी0ए0 से आदेश मिलते ही तथा निर्धारित स्थल पर निशानदेही कराने के पश्चात् शपथकर्ता, सड़क का निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल को तोड़कर निर्धारित स्थान पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अपने व्यय पर स्वयं पूर्ण कर देगा" उल्लेख किया गया है। आवंटी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आवंटी के व्यय पर— (1) रक्षापुरम योजना में ए0डब्लू0एच0ओ0 के पीछे की ओर स्थित प्राधिकरण की भूमि पर 18.00 मीटर	मा0 बोर्ड को उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि रक्षापुरम योजना के सेक्टर—2 में स्थित आवासीय बल्क भूखण्ड सं0 बी.एल.—2 क्षेत्रफल 28239 वर्ग मीटर पर पहुँच मार्ग में पड़ने वाली भूमि के मूल्य व मार्ग निर्माण पर आने वाले अन्य सभी व्यय के सम्बन्ध में सम्बन्धित बिल्डर से शपथ पत्र लेकर EXCHANGE DEED निष्पादन कराने की अनुमति दे दी गयी है। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

		चौड़े प्रस्तावित पहुँच मार्ग में पडने वाली 3176.85 वर्ग मीटर भूमि के EXCHANGE DEED के निष्पादन की स्वीकृति, (2)18.00 मीटर चौडे पहुँच मार्ग का निर्माण आवंटी से कराने की स्वीकृति (3) प्रस्ताव 18.00 मीटर चौड़े मार्ग में पडने वाली ए0डब्लू0एच0ओ0 की दीवार को आवंटी द्वारा तोड़ने एवं निर्धारित स्थल पर दीवार के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।	

116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09–02–2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
4	प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष मद सं0 14 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।	बोर्ड का निर्णय मद सं0 14 पर पारित है।
7	मैसर्स सुपरटैक लि0 ग्रीन विलेज, हापुड बाई पास रोड, मेरठ के तलपट मानचित्र में ग्राम–नूर नगर एवं नंगला शेर खां उर्फ जैनपुर का व्यवसायिक भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष मद सं0 10 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।	बोर्ड का निर्णय मद सं0 10 पर पारित है।

117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16–04–2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1.	वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में पूँजीगत व्यय के मद सं0 4.1 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण एवं अतिरिक्त प्रतिकर पर प्रस्तावित व्यय 1000.00 लाख के स्थान पर 2000.00 लाख (10.00 करोड़ के स्थान पर 20.00 करोड़) का बजट में प्रावधान कर लिया गया है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
2.	कोविड–19 के दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज दरों में एकरूपता रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित समिति की दिनांक 24–08–2021 को बैठक सम्पन्न हुई। समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर शासनादेश दिनांक 22–02–2021 के अनुपालन के क्रम में आदेश लागू होने की तिथि से आगामी 02 वर्षो तक आवंटित की जाने वाली सम्पत्तियों पर ब्याज दरों को भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 01–04–2020 की 02 वर्षो हेतु निर्धारित दर MCLR की दर 7.95% में 1% वृद्धि के साथ 8.95% तथा किश्तों का समय से भुगतान न करने पर 02% अतिरिक्त दण्ड ब्याज कुल 10.95% किया जाना प्रासंगिक, तार्किक व उचित होना पाया गया है। समिति की आख्या बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है।	माननीय बोर्ड द्वारा समिति की आख्या अवलोकित की गयी। प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

3.	प्राधिकरण द्वारा मेरठ विकास क्षेत्र में अवैध निर्माणों को ध्वस्तीकरण करने एवं योजनाओं से सम्बन्धित कार्यो हेतु जे0सी0बी0 कम्पनी की दो बकहो लोडर मशीन को जैम पोर्टल से क्रय करने का प्रस्ताव अगामी बोर्ड बैठक में रखने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड की स्वीकृति के अनुपालन में नजारत अनुभाग द्वारा मेरठ विकास क्षेत्र में अवैध निर्माणों को ध्वस्तीकरण करने एवं योजनाओं से सम्बन्धित कार्यो हेतु दो नग Backhoe Loaders Machine क्रय की जानी है, जिनमें से ध्वस्तीकरण हेतु एक मशीन with Rock Breaker Assembly (रॉक ड्रील हैमर के साथ) तथा एक मशीन साधारण Backhoe Loaders Machine के साथ जैम पोर्टल पर बिड के माध्यम से क्रय करने हेतु दिनांक 30.10.2021 को जैम पोर्टल पर ऑफर/बिड अपलोड कर दी गयी है। ऑफर/बिड दिनांक 15.11.2021 तक प्राप्त की जानी है। बोर्ड के निर्णय के क्रम में अनुपालन किया जा रहा है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
4.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत लम्बे समय से रिक्त चली आ रही निर्मित/अर्द्धनिर्मित सम्पत्तियों को जैसा है, जहाँ है के आधार पर निस्तारण किये जाने के लिये सम्पत्तियों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि हेतु फ्रीज किये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अनुपालन किया जा रहा है। उक्तानुसार दिनांक 30–06–2021 तथा दिनांक 25–09–2021 को सम्पन्न लाटरी ड्रा में क्रमश 65 तथा 63 कुल मिलाकर 128 सम्पत्ति आवंटित की गयी है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

5.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित आवंटियों के भवनों/भूखण्डों का प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध सम श्रेणी के विलॉज/फ्लैटस में समायोजन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित आवंटियों के भवनों/भूखण्डों का आवंटन प्राधिकरण की योजनाओं के रिक्त फ्लैटस्/विलॉज में समायोजन हेतु कार्य–योजना निम्नानुसार तैयार कर ली गयी है:– प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी से प्रभावित सभी आवंटियों को उनका आवंटन योजना में रिक्त विलॉज/फ्लैटस् में समायोजन हेतु दिनांक 15–11–2021 नियत करते उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र निर्गत किये गये जिनमें से मात्र 22 आवंटियों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति पत्र/प्रार्थना पत्र देकर भूखण्ड के बदले भूखण्ड दिये जाने की माँग की गयी है। अधिकतर आवंटियों द्वारा अपनी रूचि न दिखाने के कारण पुनः आवंटियों को दिनांक 22–11–2021 से 27–11–2021 को प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किये गये है। इस प्रकार आवंटियों की सहमति के उपरान्त लाटरी ड्रा के माध्यम से समायोजन की कार्यवाही जायेगी।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित गयी। गहन चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:– (1) हवाई पट्टी से प्रभावित आवेदकों के भूखण्डों के आवंटन को सभी आवेदकों की उपस्थिति में रिक्त भूखण्डों में लाटरी ड्रा के माध्यम से समायोजित किया जाये। (2) विगत बोर्ड के निर्णय के क्रम में हवाई पट्टी के प्रभावित आवेदकों से रिक्त फ्लैटस् के

			सापेक्ष सहमति माँगकर आवेदकों की उपस्थिति में लाटरी ड्रा के माध्यम से उनका आवंटन फ्लैटस् में समायोजन किया जाये।
6.-	उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–558/आठ–3–21–211 विविध/13 टी.सी. लखनऊ दिनांक 09.02.2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा अंगीकृत अधिसूचना पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अनुपालन- आख्या अवलोकित।
7.	अयोध्या नगर के विकास हेतु तैयार किये गये अयोध्या डेवलेपमेन्ट प्लान की तरह मेरठ नगर हेतु नगर का सिटी डेवलेपमेन्ट प्लान तैयार कराने के सम्बन्ध में।	सिटी डेवलेपमेन्ट प्लान हेतु कन्सलटेन्ट का चयन कर एग्रीमेन्ट किया जा चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर निर्णय–

अनु0 मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ विकास क्षेत्र में संचालित परिषद की योजनाओं में अवैध निर्माणों की सीलिंग की कार्यवाही किये जाने के अधिकार प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 26(ए) के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद को शक्तियों का प्रतिनिधायन किया जा चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

118वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20–11–2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पुनरीक्षित बजट।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
2.	विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गो से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि–2021 के अनुमोदन एवं अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त शासन द्वारा प्रेषित उपविधि–2021 दिनांक 16–07–2021 को अंगीकृत किया गया।

3.	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अर्धनिर्मित भवनों को यथा स्थिति में बल्क सैल के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित नयी अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के परिपेक्ष्य में अर्द्धनिर्मित भवनों के विक्रय हेतु परीक्षण करा लिया जाने के निर्देश दिये गये।
4.	प्राधिकरण कार्यालय के ओपेन स्पेस में भूतल पर मल्टी परपज हॉल तथा बेसमेण्ट में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य।	प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त 'मीटिंगहॉल/मल्टीलेवल बेसमेन्ट पार्किंग का प्रस्ताव' का अनुमोदन प्रदान किया गया।
5.	उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–63/2021/093/आठ–1–21–34 बैठक/2014 टी0सी0 दिनांक: 23.09.2021 के माध्यम से समाज के लघु मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास उपलब्ध कराने के उददेश्य से ''अर्फोडेबल हाउसिंग नीति'' के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त ''अर्फोडेबल हाउसिंग नीति'' अंगीकृत की गयी।
6.	निर्मित आवासीय क्षेत्र में उपविभाजन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त दिनांक 06.09.2014 को सम्पन्न 103वीं बोर्ड बैठक द्वारा लिया गया निर्णय, बिल्डिंग बाईलॉज के अनुरूप न पाया जाने के कारण वापस लिया गया तथा बिल्डिंग बाईलॉज के अनुरूप प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिये गये।

7.	मेरठ महायोजना–2021 की जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत ग्रीन वर्ज में फिलिंग स्टेशन क्रिया को विशेष अनुमति से सशर्त अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8.	मेरठ महायोजना (विस्तारित क्षेत्र) दौराला–2021 की जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत ग्रीन वर्ज में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन निषिद्ध क्रिया को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
9.	12 मी0 चौडे रोड पर स्थित भूखण्डों का औद्योगिक मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	गहन चर्चा उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सर्वे कराकर यह देख लिया जाये कि कितनी औद्योगिक इकाईयाँ 12 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है। तद्नुसार प्रस्ताव आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाये।
10.	मैसर्स सुपर टैक लि0 ग्रीन विलेज, हापुड बाई पास रोड, मेरठ के तलपट मानचित्र में ग्राम–नूर नगर एवं नंगला शेर खां उर्फ जैनपुर का व्यवसायिक भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अपार्टमेन्ट ऑनरशिप एक्ट, 2010 के प्राविधानों के अनुरूप स्वीकृत मानचित्र में विचलन के कारण आवंटियों से नियमानुसार सहमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
11.	किशन फ्लोर मिल कम्पाउन्ड स्थित भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि स्वामी द्वारा आवेदन करने पर भवन उपविधियों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

12.	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–16 के परन्तुक के अधीन बनायी गयी उपविधि के अनुमोदन एवं अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–16 के परन्तुक के अधीन बनायी गयी उपविधि पर अनुमोदन प्रदान करते हुए अंगीकार की गयी।
13.	मेरठ विकास प्राधिकरण में जेम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिगं पर 02 मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), 01 लेखपाल, 01 लेखाकार, 01 विधि अधिकारी एवं 01 प्लानिंग असिस्टेन्ट कार्य पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपलब्ध रिक्तियों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से शासन द्वारा जारी शासनादेश अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
14.	शताब्दी नगर योजना के सैक्टर–2 में अर्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास को सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की इस सम्पत्ति का अब तक कोई उपयोग न होने के कारण प्राधिकरण हित में विद्यमान विधि/उपविधि/नियमों का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
15.	मेरठ विकास प्राधिकरण की प्राधिकरण की 114 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–12–2019 में ''मेरठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने के सम्बन्ध में'' पारित प्रस्ताव में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर निर्णय–

अनु0 मद सं0	विषय	निर्णय
01	प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यो के कार्य स्थलों/योजनाओं में वायु प्रदुषण के नियन्त्रण हेतु दो नग एन्टी स्मोग गन/वाटर कैनन क्रय किये जाने हेतु रूपये 50.00 लाख के बजट प्राविधान के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
02	मेरठ विकास प्राधिकरण की समस्त गैर आवासीय एवं आवासीय सम्पत्ति जो ई–निविदा सह नीलामी से आच्छादित हो, का आवंटन ई–नीलामी से करने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(चन्द्र पाल तिवारी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

08/12/24
(मृदुल चौधरी)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

9/12/2024
(सुरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।